उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6680 / जबलपुर, दिनांक 25/12/2018
दो–13–32/17

श्री विनोद भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1038/दो–13–32/2017, जबलपुर दिनांक 26.02.2018 द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 में विभिन्न तिथियों पर कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 में अधिरोपित आरोप स्वीकार करने का घोर कदाचार सिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ते (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत उनकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

20/12/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6681 / जबलपुर, दिनांक 25/12/2018
दो–13–32/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/इंदौर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, ... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री विनोद भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)